# प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
## उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
*Visit us:* http:// upted.gov.in/directorate

Phone No. [illegible]
Fax No. [illegible]
E-mail: [illegible]


आदेश–

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0–04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक–29.04.2021 में निहित प्राविधानानुसार निदेशालय के आदेश सं0–13306–11/ई–स्था0–अता0वेतलाग–2007(03) दिनांक–24.06.2022 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सदानन्द शर्मा को तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक सिरसिया श्रावस्ती में रिक्त **कर्मशाला अनुदेशक, लोहकला वेतनबैण्ड रू0 9300–34800 सादृश्य ग्रेडवेतन रू0 4200/–** (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेवल–6) में तैनाती प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में **श्री मिथिलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सदानन्द शर्मा महाराना पालीटेक्निक, गोरखपुर, इंडस्ट्रियल एरिया गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273015** के पत्र दिनांक–05.07.2022 द्वारा किये गये अनुरोधानुक्रम पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशालय के सन्दर्भित आदेश दिनांक–24.06.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक सिरसिया श्रावस्ती के स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक, बरियांव बुजुर्ग सदर देवरिया अंकित कर न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें **शासनादेश संख्या–20/1/74–3 दिनांक–11.06.1975** में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है–

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता | स्थाई पता | संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **श्री मिथिलेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री सदानन्द शर्मा महाराना पालीटेक्निक, गोरखपुर, इंडस्ट्रियल एरिया गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर उत्तर प्रदेश–273015** | ग्राम–छेवटलिया पोस्ट–सिरसिया जिला–गोरखपुर उत्तर प्रदेश–273007 | **राजकीय पालीटेक्निक, बरियांव बुजुर्ग सदर देवरिया** |

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित **"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991"** में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(मनोज कुमार)
निदेशक

# प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
## उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर–208002
*Visit us:* http:// upted.gov.in/directorate

Phone No.: [illegible]
Fax No.: [illegible]
E-mail: [illegible]


पृ0सं0 17724-30 /इ–स्था0–अरा0वैकलाग–2007(03) कानपुर : दिनांक– 07/07/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

| | | |
|---|---|---|
| | 1. | अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन, लखनऊ। |
| स्पीड पोस्ट | 2. | उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक–142(II)/06/डी0आर0/एस–12/2013–14 दिनांक–28.02.2022 के संदर्भ में। |
| | 3. | संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। |
| | 4. | संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, लखनऊ तथा पूर्वी क्षेत्र वाराणसी। |
| | 5. | प्रधानाचार्य, तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक, सिरसिया श्रावस्ती। |
| | 6. | प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, चरियांव बुजुर्ग सदर देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी के पदभार ग्रहण करते समय उनके सभी मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच स्वयं के स्तर से किये जाने के उपरांत उक्त प्रपत्रों की सत्यता की जाँच उससे संबंधित कार्यालय/संस्थानो से भी अनिवार्य रूप से प्रमाणित करा लें, ताकि तदोपरान्त ही उक्त अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति की पुष्टि के संबंध में निदेशालय द्वारा निर्णय लिया जा सके।<br>उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था में निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं इनके उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ नियुक्त अभ्यर्थियों की फोटो भी संस्था प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं प्रमाणित कर निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि नियुक्त अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी सूचना निर्धारित तिथि के बाद तत्काल अधोहस्ताक्षरी के नाम से अवगत कराना सुनिश्चित करें। |
| स्पीड पोस्ट | 7. | श्री मिथिलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सदानन्द शर्मा, महाराणा पालीटेक्निक, गोरखपुर, इण्डस्ट्रियल एरिया गोरखनाथ, जिला–गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273015 |

R.K.S.

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।